

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:स.24(15)(1)विधि/अभि/2021

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक प.1(1)न्याय/2024 जयपुर दिनांक 4.12.2024 द्वारा कुल 7 न्यायालय सृजित किये गये हैं, उक्त न्यायालयों में अभियोजन पैरवी कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृती एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	न्यायालय का नाम	सृजित पदनाम	पदों की संख्या
1.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बांरा	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
2.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौड़गढ़	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
3.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
4.	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर	सहायक निदेशक अभियोजन	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर, अजमेर	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा, झुन्झुनू	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01
7.	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन. आई. एक्ट प्रकरण), झुन्झुनू	सहायक अभियोजन अधिकारी	01
		कनिष्ठ सहायक	01
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	01

कुल स्वीकृत पद:-

क्र.स.	पदनाम	संख्या
1	सहायक निदेशक अभियोजन	04
2	सहायक अभियोजन अधिकारी	03
3	कनिष्ठ सहायक	07
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(होमगार्ड)	07

वित्त (व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 182500064 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा सहमति के अनुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। अभियोजन विभाग उक्त पदों को IFMS पर अपडेट कराना सुनिश्चित करावे।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. जिला बांरा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, सीकर, अजमेर, झुन्झुनू
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
9. संबंधित न्यायालय।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-2) विभाग।
11. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त न्यायालयों में स्वीकृत पदों पर पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त अतिरिक्त /उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
13. संस्थापन शाखा राजपत्रित व अराजपत्रित/एसीआर/मंत्रालयिक वरिष्ठ व कनिष्ठ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
15. रक्षित पत्रावली।

